


फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर मुकाम अलवर

कोमल वगैरा बनाम सागर देवी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 212 पत्र किस्म मुकदमा नं0सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.06.2022	<p>वकील वादी ने मूल वाद के साथ प्रा.पत्र 212 राज.काश्त.अधि.पेश किया। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस, बखूबी साबित होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी 29.07.2022 तक जयें अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 65, 64, 689, 690, 318/758, 456, 457, 412, 15, 378, 422, 455, 11, 12, वाके ग्राम रायसीस तहसील अलवर। विवादित आराजी के मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। तलवी अप्रार्थीगण जयें रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 29.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी अलवर </p> <p>29/7/22 <i>वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण की तलवी के रजिस्टर्ड तलपना जो की दिनांक 20/8/22 को जो की अमर न.1.11 अर्थात बहस जारी है</i></p>	

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

22/8/22

वरील प्रती के प्रा.स पर पत्रावली, तलाक
खबर पेश हुई। वरील प्रती नोबिस हन

श्री
गुनीरिवा
28/8/22
[Signature]

किया के प्रती नो बिबहित बागली (प्रा.स
में वक्ति) काकत वरु प्रदुत गरीत है।
छ.नं. 11, 12, 15 वारे ग्राम रायलीस काकत
प्रतिवादिज्य से किराह समाप्त हो चुका है।
मतः शेष नम्बरान पर स्थान प्रभावी
रखते हुये छ.नं. 11, 12, 15 वारे रायलीस
को डिवाट करने का कर्फन किया।

प्रा.स प्रा.स है। इस नम्बरान
के पूर्व बागली निषेधाज्ञा दिनांक 28-6-22
में अक्ति छ.नम्बरान में से छ.नं. 11, 12, 15
वारे ग्राम रायलीस को डिवाट किया जाता है।
शेष छ.नम्बरान पर बागली निषेधाज्ञा प्रभावी
रहेगी। पत्रावली पूर्व दिनांक 20/8/22
को मूल वरु डे साफ पेश है।

उपखण्ड अधिकारी

अलवर

20/8/22 पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उपा।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा. कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक...1-11-2022
को पेश हो।

रीडर

11/2 पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उपा।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा. कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक...10-1-2023
को पेश हो।

रीडर

10-1-2023

पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उपा।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा. कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक...18-4-2023
को पेश हो।

[Signature]

फर्द अहकाम



[नियम 26]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

..... बनाम

किस्म मुकदमा नं० सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>04-4-23</p> <p>पतावती उर्वे निधी रित तारीखत येरी ले हुवे उम्मी के डा.पत्र पर तब की गई डा.पत्र में अंकित किया है कि उर्वे निधी पत्र को आगे नहीं बढ़ाया जाये है उर्वे निधी पत्र नो हउएल कारना पारत है।</p> <p>पतावती पर नवीन उम्मी हुवे उम्मी को मुना गना कापी उपनकार के उपरान्त नो हउएल डा.पत्र हवीकार किया जाकर पतावती को इयो हउएल पर आरिज किया जाता है पतावती नम्बर ले काम से बाप तकासील पतावती दारित ल दपतर है।</p> <p style="text-align: center;">2 उपखण्ड अधिकारी अलवर</p>	<p style="text-align: center;"> (मुनी की)</p> <p>कीमल डा.पल</p> <p>sd by </p>